

बिहार सरकार  
अभियोजन निदेशालय  
गृह विभाग

ऑफिसर्स फ्लैट सं० V-5, न्यू पुनाईचक, पटना।

प्रेषक,

आनन्द किशोर, भा०प्र०से०

निदेशक अभियोजन  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

पटना/बक्सर/भागलपुर/नालन्दा/खगड़िया/सीतामढ़ी/  
गया/कैमूर/जहानाबाद/शेखपुरा/कटिहार/पूर्णियाँ  
गोपालगंज/बेगूसराय/बेतिया/सासाराम/मुंगेर/मधुबनी  
मोतिहारी/सीवान/शिवहर/औरंगाबाद/दरभंगा/समस्तीपुर।

पटना, दिनांक...20/3/17

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2014 न्याय प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल) उपशीर्ष-0004 अभियोजन निदेशालय, मांग सं०-22 विपत्र कोड- N2014001140004 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय हेतु उपबंधित राशि से यात्रा भत्ता मद में कुल राशि 44,50,000/- (चौवालीस लाख पचास हजार रुपये मात्र) का आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग बिहार, पटना के पत्रांक एम०-०४-०९/२०१४, २७९३ दिनांक ०४.०४.२०१६ एवं पत्रांक ४२३ दिनांक ३१.०३.२०१६ के आलोक में सभी संबंधित जिला को वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में माह मार्च, २०१७ तक व्यय हेतु मुख्यशीर्ष २०१४ न्याय प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष -०० लघु शीर्ष- ११४ विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल) उप शीर्ष-०००४ अभियोजन निदेशालय, मांग सं०- २२ विपत्र कोड-N2014001140004 के अन्तर्गत प्राप्त बजट उपबंध से यात्रा भत्ता मद (११ ०१) में निम्न राशि आवंटन की जाती है:-

क्र०	जिला का नाम	संबद्ध जिला/ अनुमंडल कार्यालय	११ ०१ यात्रा भत्ता		
			पूर्व का आवंटन	वर्तमान का आवंटन	कुल आवंटन
१	२	३	४	५	६
१	पटना	पटनासिटी	-	१,००,०००	१,००,०००
२	बक्सर	बक्सर	-	१,८०,०००	१,८०,०००
३	भागलपुर	भागलपुर	-	२,२५,०००	२,२५,०००
४	बिहारशरीफ (नालन्दा)	बिहारशरीफ (नालन्दा)	-	१,५०,०००	१,५०,०००
		हिलसा	-	१,२०,०००	१,२०,०००
५	खगड़िया	खगड़िया	५०,०००	६०,०००	१,१०,०००
६	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	-	२,६०,०००	२,६०,०००
७	गया	गया	४०,०००	१,२२,०००	१,६२,०००
८	कैमूर (भभुआ)	कैमूर (भभुआ)	-	१,१८,०००	१,१८,०००
९	जहानाबाद	जहानाबाद	-	३,५०,०००	३,५०,०००
१०	शेखपुरा	शेखपुरा	-	१,६०,०००	१,६०,०००
११	कटिहार	कटिहार	२५,५००	२,४०,०००	२,६५,५००
१२	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ	-	३,५०,०००	३,५०,०००
१३	गोपालगंज	गोपालगंज	-	२,३५,०००	२,३५,०००
१४	बेगूसराय	बेगूसराय	-	१,४०,०००	१,४०,०००
१५	बेतिया (प० चम्पारण)	बेतिया (प० चम्पारण)	-	२,४०,०००	२,४०,०००
१६	सासाराम	सासाराम	-	३,३०,०००	३,३०,०००
१७	मुंगेर	मुंगेर	-	१,२०,०००	१,२०,०००
१८	मधुबनी	मधुबनी	-	१,६०,०००	१,६०,०००
१९	मोतिहारी	मोतिहारी	-	२,१०,०००	२,१०,०००
२०	सीवान	सीवान	-	१,२५,०००	१,२५,०००
२१	शिवहर	शिवहर	-	१,२०,०००	१,२०,०००
२२	औरंगाबाद	औरंगाबाद	-	१,२५,०००	१,२५,०००
२३	दरभंगा	दरभंगा	-	१,२०,०००	१,२०,०००
२४	समस्तीपुर	समस्तीपुर	-	९०,०००	९०,०००
		कुल		४४,५०,०००	४५,६५,५००

कुल वर्तमान आवंटित राशि-- ४४,५०,०००/- (चौवालीस लाख पचास हजार रुपये मात्र)।

2. उपर्युक्त राशि का आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2661/वि0(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में किया गया है।
3. आवंटित राशि का उप-आवंटन सभी संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को किए जाने के पश्चात् राशि निकासी की जायगी।
4. यात्रा भत्ता की निकासी सक्षम पदाधिकारी द्वारा यात्रा भत्ता विपत्र प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् की जायगी।
5. यात्रा भत्ता की निकासी यात्रा भत्ता नियमावली/वित्तीय नियमावली तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र के आलोक में की जायगी। किसी भी प्रकार की अनियमित, अवैध, दोहरी एवं वित्तीय निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। अतः राशि की निकासी से पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस बात की जाँच कर ली जाय कि राशि की निकासी नियमानुसार की जा रही है।
6. आवंटित राशि का संधारण आवंटन पंजी में किया जायगा।
7. आवंटन आदेश <http://home.bih.nic.in> पर देखा जा सकता है।
8. आवंटित राशि का व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से अभियोजन निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

Em मि Tom  
प्रोप्रा मि मि

विश्वासीभाजन

निदेशक अभियोजन  
बिहार, पटना।

दिनांक... 20/3/17

ज्ञापक अ0 नि0 (03)-02/2016 (ब0/आ0).....242...../

- प्रतिलिपि-
1. महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
  2. संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
  3. उप सचिव, गृह (आ0) विभाग, (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
  4. सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
  5. श्री राजीव रंजन सिन्हा, उप सचिव नोडल पदाधिकारी, गृह(विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
  6. श्री एस0एम0दूबे, आई0टी0 मैनेजर को <http://home.bih.nic.in> पद पर Upload करने हेतु प्रेषित।
  7. संबंधित जिला अभियोजन पदाधिकारी/अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

Em मि Tom  
प्रोप्रा मि मि

निदेशक, अभियोजन  
बिहार, पटना।